



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, अजमेर – 305 004

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिषद्)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन

फा.सं.4-लेखा/2026-2027

दिनांक:-

प्रति,

.....

विषय:- सीलबंद Quotation (उद्धरण) आमंत्रित करने बाबत ।

महोदय/महोदया,

निम्नलिखित कार्यों के लिए रजिस्टर्ड सी.ए./सी.ए. फर्म से सीलबंद Quotation आमंत्रित की जाती है:-

S.No.	List of work
1.	Quarterly and monthly GST return
2.	Quarterly and monthly Income tax return
3.	Preparation of form 16 and Form 16 A in r/o employees, pensioners and contractual (Maximum 500 persons, Firms) 24q and 26 q
4.	27 A
5.	Auditing of Accounts as when it required
6.	Preparation of Annual Account in r/o Non Profit organization when required
7.	Revised TDS and GST return

इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी वांछित दस्तावेजों एवं निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रत्येक मद हेतु पृथक-पृथक दरें दर्शाते हुए सीलबंद Quotation इस संस्थान में दिनांक 17.07.2026 सायं 05:00 बजे तक अपरिहार्य रूप से व्यक्तिशः/डाक द्वारा (कक्ष सं. 02 में) जमा करायें । अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली Quotation पर विचार नहीं किया जायेगा । Quotation वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए निम्न शर्तों के साथ आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदायें सीलबंद लिफाफे में दिनांक 17.07.2026 सायं 05:00 बजे तक संस्थान के कक्ष संख्या 02 में जमा करवाई जा सकती है । निर्धारित तिथि या समय के पश्चात् प्राप्त हुई कोई भी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी ।
2. सीलबंद निविदा प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, कैप्टन डी पी चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड, अजमेर के नाम से सील बंद लिफाफे में भेजे एवं लिफाफे के ऊपर (Quotation for CA empanelment Last Date on 17.07.2026) अवश्य लिखें ।
3. खुली हुई Quotation पर किसी भी स्थिति में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
4. फर्म को न्यूनतम 3 साल का अनुभव एवं न्यूनतम 1 साल का सरकारी संस्थाओं का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है । अनुभव हेतु कार्यादेश/संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाए ।
5. फर्म का पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 10 लाख या अधिक (Last 3 year Annual Average Trunover minimum Rs.10 Lakh or more) का होना चाहिए ।
6. फर्म का एक कार्यालय/शाखा अजमेर शहर में आवश्यक रूप से होनी चाहिए एवं फर्म में पंजीकृत/रजिस्टर्ड सी.ए. होने चाहिए ।

समिति अध्यक्ष